



सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(भाग - 1)

2010-2011



सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(भाग - 1)

2010-2011

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

भाग 1

■ विषय-सूची	...	(i) - (ii)
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	...	(iii) - (iv)
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(v) - (viii)
1 : वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2 : प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण	...	3 - 4
3 : समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	...	5 - 8
4 : समेकित निधि में व्यय का विवरण कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार	...	9 - 15
■ लेखे पर टिप्पणियाँ	...	16 - 33
■ परिशिष्ट I : रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	...	34 - 35

भाग 2

खण्ड I

5 : प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण	...	36 - 40
6 : उधार ली गयी राशियों एवं अन्य देयताओं का विवरण	...	41 - 44
7 : सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	...	45 - 53
8 : सरकार द्वारा दिये गये सहायक-अनुदान का विवरण	...	54 - 55
9 : सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	...	56 - 57
10 : प्रभारित और दत्तमत व्यय का विवरण	...	58 - 60

खण्ड II

11 : लघु-शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	61 - 94
12 : लघु-शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	95 - 158
13 : पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरण	...	159 - 232
14 : सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	233 - 250
15 : उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	...	251 - 270
16 : सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	271 - 290
17 : राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं इसके उपयोग का विस्तृत विवरण	...	291 - 293

विषय	पृष्ठ
18 : आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण ...	294 - 307
19 : उद्दिष्ट निधियों के निवेश से संबंधित विस्तृत विवरण ...	308
खण्ड III : परिशिष्ट	
II : वेतन पर तुलनात्मक व्यय ...	309 - 319
III : सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय ...	320 - 330
IV : सहायक अनुदान (योजनावार एवं संस्थावार) ...	331 - 356
V : बाह्य सम्पोषित परियोजनाएं ...	357
VI : योजनागत योजना व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य की योजनागत योजना) ...	358 - 370
VII : क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानान्तरित की गई निधियाँ ...	371 - 374
VIII : शेषों का सारांश ...	375 - 381
IX : सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम ...	382
X : अपूर्ण निर्माण कार्य ...	383 - 447
XI : वेतन एवं गैर-वेतन हिस्सों में विभाजित अनुरक्षण व्यय ...	448 - 451
XII : राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, वैसे मदों का विवरण जिसके शेषों के बँटवारे का निर्णय नहीं हुआ है ...	452 - 457

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7 (ii), 8, 9,14,15 (ख)(i) तथा 15 (ग)(i)}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों {विवरण संख्या 5 (क), 6 (क) तथा 6 (ख) और विवरण संख्या 11 का टिप्पणी (iii) } और परिशिष्टों { v, vi, ix (i), ix (ii), x तथा xi } को झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।


झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक “लेखाओं के लिए टिप्पणियों” के साथ पठित वित्त लेखे 2010-11 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली झारखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक :
नई दिल्ली



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत अवलोकन


1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग I : समेकित निधि : राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां के सभी प्राप्तियों और व्यय, राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय निधि की प्रकृति का है, की स्थापना कर सकती है। इस निधि को राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा गया है कि वे जैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधान मंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किये गये अन्य सभी लोक धनों को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। इस लेखे से किए गए व्यय पर विधान मंडल के मत की आवश्यकता नहीं होती है। इस लेखे में प्राप्तियों के संबंध में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ऋण (भाग I में लोक ऋण से भिन्न), जमाओं, अग्रिमों, आरक्षित निधियों, प्रेषणों तथा उचंत से संबंधित लेन देनों से लोक लेखा का निर्माण होता है।

क. 1.1 सरकारी लेखे की संरचना का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण



2. भाग, अनुभाग, खण्ड इत्यादि

समेकित निधि में लेखे के दो मुख्य भाग होते हैं जैसा कि पूर्व पृष्ठ क. 1.1 में उद्धृत किया गया है, “राजस्व” और “पूंजी”, “लोक ऋण”, “कर्जे-इत्यादि” जिन्हें दो अनुभागों “राजस्व” तथा “व्यय” में विभाजित किया गया है। समेकित निधि के प्रत्येक भाग तथा अनुभाग के अन्दर व्यय पक्ष के लेन देनों को सामुहिक रूप से “खण्ड” में यथा “सामान्य सेवाएं” “आर्थिक सेवाएं” के तहत निर्दिष्ट विशेष कार्य या सेवाओं में संयोजित किया गया है। खण्डों को पुनः “उप-खण्डों/लेखा के मुख्य शीर्षों” में विभाजित किया गया है। मुख्य शीर्ष, कार्य प्रकृति से संबंधित होता है जिसे पुनः “उप-मुख्य शीर्षों” (उप-कार्यों) तथा “लघु शीर्षों” (कार्यक्रमों) में विभाजित किया गया है, जैसा कि वित्त लेखे के खण्ड दो में उद्धृत है। लेखा के लघु शीर्षों के नीचे वर्गीकरण यथा उपशीर्ष (योजना) और विस्तृत तथा वस्तु शीर्ष (व्यय की प्राथमिक इकाई) का उद्धरण (कुछ अपवादों को छोड़कर) वित्त लेखें में नहीं किया जाता है, तथापि परिशिष्टों में कुछ विस्तृत जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है।

ख. विवरणों में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 सरकार के वित्तीय विवरणों को सर्वसामान्य समझने योग्य सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि खण्ड 2 में विस्तृत विवरण को प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, चार संक्षिप्त विवरणों, जैसा कि नीचे दिया गया है तथा लेखाकरण नीति सहित “लेखे पर टिप्पणियाँ” समाविष्ट हैं।

- 1. वित्तीय स्थिति का विवरण:** सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, को इस विवरण में उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियाँ हैं, सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर उद्धृत किया जाता है।
- 2. प्राप्तियों और व्ययों का विवरण:** यह एक संक्षिप्त विवरण है, जो कि सभी तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, जिसमें कि सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त समेकित निधि के अधीन राजस्व तथा पूंजी लेखा पर प्राप्तियों एवं व्ययों को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। सरकार के राजकोषीय मानकों यथा प्राथमिक, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की गणना राज्य के समेकित निधि के संचालन पर की जाती है। अतः निम्नलिखित दो विवरण, समेकित निधि के संचालनों को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।
- 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार के उधारों से प्राप्तियाँ, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य संस्थानों, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे, सरकार द्वारा दिए गए “ऋण तथा अग्रिम” की वसूलियाँ, सम्मिलित हैं, से संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ, इस विवरण में समाविष्ट हैं।
- 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** यह विवरण केवल कार्यात्मक व्यय (क्रियाकलाप) को ही नहीं, बल्कि कार्य की प्रकृति (वस्तुनिष्ठ व्यय) के सारांशित व्यय को भी प्रदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, ‘परिशिष्ट 1’ समाविष्ट है, ‘जो कैश फ्लो’ के रूप में सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का एक उद्धरण है।

द्वितीय खण्ड में तीन भाग समाविष्ट होते हैं। पहले भाग में छः विवरण शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण प्रगामी पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके कुल योग को विवरण 1 में उद्धृत किया जाता है।
- 6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त “कर्जे तथा अग्रिम” शामिल हैं। ये दोनों मिलकर राज्य सरकार के “लोक ऋण” का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण “अन्य देयताओं”, जो कि लोक लेखा में विभिन्न लेखा खण्डों के अंतर्गत शेष होते हैं, को उद्धृत करता है। परवर्ती के संबंध में सरकार एक ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में निधि की देखभाल करती है, अतः ये सरकार के देयताओं का निर्माण करती है। इस विवरण में ऋण की सेवाओं पर एक टिप्पणी, यथा राजस्व प्राप्तियों से निवल देय ब्याज की मात्रा पर टिप्पणी, भी समाविष्ट है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा अग्रिमों का विवरण:** विवरण 1 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए “कर्जे एवं अग्रिमों” का उल्लेख किया जाता है तथा विवरण 2, 3 एवं 4 में वापसियों, भुगतान की रूप-रेखा का उल्लेख किया जाता है। यहाँ, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहिक रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहित रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे के संबंध में बकाए वापसियों पर टिप्पणी, जिसका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।
8. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** इस विवरण में अनुदानों का ब्यौरा उल्लेखित है। इसमें सामग्री के रूप में दिए गए सहायक अनुदान पर टिप्पणी भी शामिल है।
9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण:** वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गये कर्जों के पुनर्भुगतान इत्यादि के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों और वर्ष के अंत में ली गई गारंटी की बकाया राशि को इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।
10. **मतदेय एवं भारित व्यय का विवरण:** यह विवरण सरकार के मतदेय एवं भरित व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
भाग II खण्ड 2 : इस भाग में 9 विवरणों का समाविष्ट किया गया है, जो खण्ड I में विवरणों तथा खण्ड 2 के भाग I में विवरणों के सदृश, लघु शीर्षवार लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
11. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
12. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे गत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है।
13. **पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत तक के संचित पूंजीगत व्यय को भी इस विवरण में दर्शाया जाता है।
14. **सरकार के निवेश संबंधी विस्तृत विवरण:** इस विवरण में चालू एवं गत वर्ष के लिए विभिन्न निकायों के हिस्सा-पूंजी और डिबेंचरों में किए गए सरकारी निवेश की स्थिति को दर्शाया जाता है। विवरण में हिस्सों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को भी शामिल किया जाता है।
15. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण:** लघु शीर्षवार उधार का विवरण (सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्जे आदि), सभी कर्जों की परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान परिच्छेदिका को इस विवरण में उपलब्ध कराया जाता है। यह विस्तृत विवरण भाग 1 के खण्ड 2 में विवरण 6 के सदृश है।
16. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण, कर्ज के शेषों में अन्तर, कर्जों को बट्टे खातों में डाले जाने, कर्जों पर ब्याज प्राप्ति, इत्यादि का ब्यौरा इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। यह योजना कर्जों को अलग से भी दर्शाता है। यह विस्तृत विवरण भाग 1 के खण्ड 2 के विवरण 7 के सदृश है।
17. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय हेतु निधियों, स्रोत तथा उपयोग पर विस्तृत विवरण:** पूंजी तथा अन्य व्यय (राजस्व लेखे से भिन्न) तथा व्यय के लिए निधि के स्रोतों का ब्यौरा इस विवरण में दर्शाया जाता है।
18. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि में हुए विनियोजनों, व्ययों, राशि की भरपाई, इत्यादि को दर्शाता है। लोक लेखे में हुए लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरे का भी उद्धरण इस विवरण में मिलता है।
19. **कर्णांकित निधियों के निवेश को दर्शानेवाला विस्तृत विवरण:** लोक लेखे में आरक्षित निधि से किए जाने वाले निवेशों के विस्तृत ब्यौरे को इस विवरण में दर्शाया जाता है।

भाग III खण्ड 2, वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, बाह्य संपोषित योजनाओं का विस्तृत विवरण, वृहत केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनागत योजनाओं आदि के संबंध में योजनावार व्यय पर **परिशिष्टों** का इसमें समावेश है। ये सभी ब्यौरे लेखे में उपशीर्षवार अथवा उससे नीचे (यथा लघु शीर्ष स्तर से नीचे) के स्तर पर मौजूद रहते हैं एवं इसलिये

इन्हें अलग से वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। इसके विस्तृत सूची के लिए कृपया खण्ड 1 अथवा 2 के सूचकांक का संदर्भ लें। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार में अभिभावी राज्य की वित्त व्यवस्था का सम्पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सुलभ गणक

विवरणों में क्या समाहित है, इसे शीघ्रता से जानने के लिए कृपया निम्न तालिका का संदर्भ लें। महत्वपूर्ण मानकों से संबंधित संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण को नीचे उद्धृत किया गया है। नीचे उद्धृत परिशिष्टों की संख्या विस्तृत नहीं है।

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड 1)	विस्तृत विवरण (खण्ड 2)	परिशिष्ट (खण्ड 2)
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन) III (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2	8	IV
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	11	
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4	5, 13, 17	
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 7	16	
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 6	15	
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1, 2		I, VIII
लोक लेखा तथा उसमें किए गए निवेश का शेष	1, 2	18, 19	
गारंटी		9	
योजनाएं			V (बाह्य संपोषित परियोजनाएं) VI, VII

खाता समायोजन:

कुछ लेन-देन, खाता समायोजन की प्रकृति के होते हैं तथा वास्तविक रोकड़ लेन-देन, जैसा कि नीचे उद्धृत है, को नहीं दर्शाते हैं। विशेष ब्यौरा “लेखे पर टिप्पणियाँ” के रूप में तथा संबंधित विवरणों में पाद टिप्पणियों के रूप में उल्लेखित है।

- वेतन से सभी कटौतियों का समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वापसियाँ आदि), कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग का) के नामे डालकर, राजस्व प्राप्तियों के रूप में खाता समायोजन किया जाता है (यथा सा०भ०नि० से भिन्न कटौतियाँ)/ लोक लेखा (यथा सा०भ०नि०)।
- निधियों का सृजन/लोक लेखे में अंशदान का निधियों में समायोजन समेकित निधियों के नामे द्वारा किया जाता है यथा, आपदा राहत निधि, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप निधि इत्यादि।
- लोक लेखे में “जमा” लेखा शीर्षों को “जमा” तथा समेकित निधि को “नामे” दर्शाया जाता है।
- सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन तथा राज्य सरकार सामूहिक बीमा योजना, जहाँ राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन, “2049-ब्याज अदायगियाँ” को नामे तथा 8009-राज्य भविष्य निधि को जमा के द्वारा किया जाता है।
- अनिवार्य समायोजनों जैसे कि “ऋण शोधन योजना” का समायोजन वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में भारत सरकार स्वीकृत किया जाता है। यह दोनों “राजस्व प्राप्तियाँ” एवं लोक ऋण शीर्षों को प्रभावित करता है, जहाँ 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा तथा ‘6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम’ को “प्रति इन्दराज” के द्वारा केन्द्रीय कर्जों को माफ किया जाता है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2010 तक	31 मार्च 2011 तक
(करोड़ रूपयों में)				
रोकड़				
(i)		कोषागारों में रोकड़ और स्थानीय प्रेषण
(ii)		विभागीय शेष	18	34.50
(iii)		स्थायी अग्रदाय	18	0.11
(iv)		रोकड़ शेष निवेश	18	13,59.39
(v)		भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 4	18
(vi)		उद्धिष्ट निधियों के निवेश [2]	परिच्छेद 19	18,19
		पूंजीगत व्यय		
(i)		कम्पनियों, निगमों के शेयर में निवेश	14	47.62
(ii)		अन्य पूंजीगत व्यय	13	1,56,59.63
		आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)		
		कर्ज और पेशगियां	परिच्छेद 17	7,16
		विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	18	11.74
		उचंत और विविध शेष [3]	परिच्छेद 21	18
		प्रेषण शेष	18	2,93.81
		प्राप्तियों से अधिक इकट्ठा खर्च [4]		39,82.86
		जोड़	2,74,65.80	2,88,10.76

- [1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग “लेखे पर टिप्पणियां” का नोट 1(ii) भी देखें।
- [2] उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि के हिस्सा पूंजी में किए गए निवेश को पूंजीगत परिव्यय में न दर्शा कर “उद्धिष्ट निधियों से किए गए निवेशों” के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- [3] इस विवरणी में लाईन मद “उचंत एवं विविध शेष” में “रोकड़ शेष निवेश लेखा” को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।
- [4] प्राप्तियों से अधिक इकट्ठा खर्च अथवा खर्च से अधिक इकट्ठा प्राप्तियाँ इस वर्ष का राजकोषीय/ राजस्व घाटा नहीं है यह इससे अलग है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2010 तक	31 मार्च 2011 तक
(करोड़ रूपयों में)				
उधार ली गई राशि (लोक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण	परिच्छेद 2	15	1,98,80.00	2,11,31.39
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क) योजनेतर कर्ज		15	15.32	12.06
(ख) राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	22,18.61	21,18.67
(ग) केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	1.41	1.24
(घ) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	20.30	19.36
(ङ) अन्य कर्ज		15	15.87	15.87
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)		18	1,50.00	1,50.00
लोक लेखा का दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		18	13,53.41	14,58.06
(ii) जमा	परिच्छेद 17	18	28,88.68	33,50.17
(iii) आरक्षित निधियां	परिच्छेद 19, 23	18	8,87.63	5,48.22
(iv) प्रेषण शेष		
(v) उचत और विविध शेष	परिच्छेद 21	18	34.57	4.33
खर्च से अधिक इकट्ठा प्राप्तियाँ				
जोड़			2,74,65.80	2,88,10.76

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण

प्राप्तियां	2010-11		2009-10		संवितरण	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
भाग-1 समेकित निधि						
अनुभाग - अ: राजस्व						
राजस्व प्राप्तियां	(करोड़ रूपयों में)		राजस्व व्यय	(करोड़ रूपयों में)		
राज्य का निजी राजस्व	85,19.52	67,54.27				
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	57,16.63	45,00.12	वेतन ^[1]	55,78.98	52,88.51	
(ii) करेतर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)			अनुदान ^[2]	3,11,44.71	21,06.10	
			सब्सिडी	80.44	40.88	
ब्याज प्राप्तियां	98.74	1,53.20	सामान्य सेवाएं			
अन्य	27,04.15	21,00.95	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	22,27.54	23,07.45	
			पेंशन	20,81.10	16,80.83	
			अन्य	6,26.28	7,30.47	
कुल (ii) करेतर राजस्व	28,02.89	22,54.15	कुल- सामान्य सेवाएं	49,34.92	47,18.75	
			सामाजिक सेवाएं	26,38.61	19,89.69	
संघ कर का हिस्सा	61,54.35	55,47.57	आर्थिक सेवाएं	15,96.90	9,84.11	
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	41,07.25	28,16.63	क्षतिपूर्ति एवं स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन	0.17	0.20	
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,87,81.12	1,51,18.47	कुल- राजस्व व्यय	1,79,44.73	1,51,28.24	
राजस्व घाटा	...	9.77*	राजस्व अधिशेष	8,36.39	...	
अनुभाग - ब: पूंजीगत						
पूंजीगत प्राप्तियां			पूंजीगत परिव्यय ^[3]			
			सामान्य सेवाएं	1,20.04	1,12.61	
			सामाजिक सेवाएं	6,81.89	8,24.51	
			आर्थिक सेवाएं ^[4]	18,62.38	17,65.92	
कुल पूंजीगत प्राप्तियां			कुल पूंजीगत परिव्यय	26,64.31	27,03.04	

[1] वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों के आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में "सामाजिक" "सामान्य" एवं "आर्थिक" सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी- 2 में स्पष्ट किया गया है)

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान विविधक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाईन मद में उपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाईन मद "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[3] वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय में 'सहायक अनुदान' के रूप में क्रमशः ₹ 2,26.84 करोड़ एवं ₹ 7.00 करोड़ शामिल है।

[4] वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय में मुख्य शीर्षों '4515', '5054' एवं '5452' के अधिन 'वेतन' के रूप में क्रमशः ₹ 53.03 करोड़ एवं ₹ 62.69 करोड़ शामिल है।

सहायक अनुदान खर्च में "सर्व शिक्षा अभियान" के अंतर्गत ₹ 4,35.00 करोड़ तथा ₹ 2,20.00 करोड़ एवं "मध्याह्न भोजन" में ₹ 1,88.42 करोड़ तथा ₹ 2,64.00 करोड़ तथा इंदिरा आवास योजना में ₹ 3,26.00 करोड़ तथा ₹ 1,82.00 करोड़ तथा मनरेगा में क्रमशः ₹ 1,17.00 करोड़ एवं ₹ 78.00 करोड़ की खर्च की राशि वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 में सम्मिलित नहीं है क्योंकि राज्य के आय-व्ययक में ये खर्च सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं था।

(*) वर्ष 2009-10 में सहायक अनुदान हेतु निर्गत व्यय को "राजस्व प्रभाग" के बजाए "पूँजी प्रभाग" में वर्गीकृत करने के फलस्वरूप राजस्व घाटा में ₹ 2,26.84 करोड़ तक की कमी हुई। मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय को भी "पूँजी प्रभाग" के बजाए "राजस्व प्रभाग" में वर्गीकृत करने से राजस्व घाटा में ₹ 54.48 करोड़ तक की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप ₹ 1,72.36 करोड़ का निवल राजस्व घाटा कम प्रदर्शित हुआ।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण-क्रमांत

प्राप्तियां	संवितरण		2010-11	2009-10
	2010-11	2009-10		
भाग-1 समेकित निधि अनुभाग - अ: राजस्व				
	(करोड़ रूपयों में)		(करोड़ रूपयों में)	
कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	24.12	21.79	दिए गए कर्ज एवं उधार सामान्य सेवाएं	14.88
			आर्थिक सेवाएं	2,81.05
			अन्य	11.63
कुल कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	24.12	21.79	कुल दिए गए कर्ज एवं उधार	3,07.56
लोक ऋण प्राप्तियां			लोक ऋण का पुर्नभुगतान	3,19.98
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	23,14.56	33,79.47	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	10,63.18
भारत सरकार से कर्ज	1,31.95	-10.03	भारत सरकार से कर्ज	1,22.60
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	24,46.51	33,69.44	कुल लोक ऋण का पुर्नभुगतान	12,99.43
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	1.39	...	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	...
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	24,72.02	33,91.23	कुल पूंजीगत परिव्यय	42,71.30
कुल प्राप्तियां समेकित निधि	2,12,53.14	1,85,09.70	कुल व्यय समेकित निधि	2,22,16.03
समेकित निधि में कमी	9,62.89	8,31.77	समेकित निधि में अधिशेष	1,93,41.47
भाग- II आकस्मिकता निधि				
आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि	...
भाग- III लोक लेखा ^[5]				
अल्प बचत	5,71.73	6,86.66	अल्प बचत	4,67.08
आरक्षित एवं शोधन निधियां	0.31	4,89.36	आरक्षित एवं शोधन निधियां	2,23.50
जमा	35,58.07	40,75.40	जमा	30,96.57
पेशगियां	1,11.72	74.08	पेशगियां	1,09.37
उचंत एवं विविध ^[6]	4,57,50.87	7,32,31.83	उचंत एवं विविध ^[6]	4,52,78.08
प्रेषण	32,98.20	26,12.36	प्रेषण	32,91.70
कुल प्राप्तियों लोक लेखा	5,32,90.90	8,11,69.69	कुल व्यय लोक लेखा	5,24,66.30
लोक लेखा में कमी	लोक लेखा में अधिशेष	8,24.60
अथ रोकड़ शेष	-7,53.10	-4,82.49	अंत रोकड़ शेष	-8,91.39
रोकड़ शेष में वृद्धि			रोकड़ शेष में कमी	-1,38.29

^[5] विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया जिल्द II में विवरणी 18 देखें।

^[6] "उचंत एवं विविध" में "अन्य लेखे" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखों के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी 18 में देखा जाए।

3. प्राप्तियों का विवरण
I – समेकित निधि

विवरण	वास्तविक		
	2010-11	2009-10	
	(करोड़ रूपयों में)		
क	कर राजस्व		
क 1	निजी कर राजस्व		
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	44,73.43	35,97.20
	राज्य उत्पाद शुल्क	3,88.34	3,22.75
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,28.35	2,38.20
	वाहन कर	3,12.37	2,34.21
	भू-राजस्व	1,30.65	41.28
	विद्युत कर तथा शुल्क	53.50	46.87
	माल तथा यात्री कर	21.08	12.44
	अन्य	...	7.17
क 2	करो के निवल आगमों का हिस्सा		
	निगम कर	24,05.55	22,83.07
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	12,71.19	12,71.76
	सीमा शुल्क	10,76.17	7,76.42
	संघ उत्पाद शुल्क	7,82.88	6,25.42
	सेवा कर	6,13.63	5,85.73
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8.91	...
	धन कर	4.93	5.17
	जोड़ क	1,18,70.98	1,00,47.69
ख	करेतर राजस्व		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	20,55.90	17,33.15
	विविध सामान्य सेवाएं	2,65.63	1,05.05
	ब्याज प्राप्तियां	98.74	1,53.20
	पर्यटन	79.52	0.78
	अन्य सामाजिक सेवाएं	40.76	3.51
	उद्योग	34.37	0.02
	मध्यम सिंचाई	29.52	52.74
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	23.85	13.49
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.52	36.26
	सड़क तथा सेतु	20.16	17.50
	श्रम तथा रोजगार	19.27	16.07
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	19.17	18.76
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	14.24	8.97

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
I – समेकित निधि

विवरण	वास्तविक	
	2010-11	2009-10
	(करोड़ रूपयों में)	
ख		
करेतर राजस्व-क्रमांत		
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	12.89	6.85
पुलिस	12.01	4.68
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.37	7.93
जल पूर्ति तथा सफाई	8.74	6.21
मुख्य सिंचाई	7.08	0.12
वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.76	3.57
फसल कृषि-कर्म	3.47	10.20
पेशनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	3.41	11.63
जेल	2.91	1.14
लघु सिंचाई	2.63	0.36
मछली पालन	2.47	2.12
लोक निर्माण कार्य	2.18	2.41
लोक सेवा आयोग	1.44	2.06
पशु-पालन	1.04	1.93
नागर विमानन	1.03	24.61
ग्राम तथा लघु उद्योग	0.97	0.68
सहकारिता	0.91	1.67
डेरी विकास	0.78	3.95
आवास	0.78	0.83
सिविल पूर्ति	0.60	0.79
लाभांश तथा लाभ	0.40	...
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.11	0.38
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.09	...
पूर्ति तथा निपटान	0.09	...
परिवार कल्याण	0.05	0.45
शहरी विकास	0.03	0.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	...	0.06
सूचना तथा प्रचार	...	0.01
जोड़ ख	28,02.89	22,54.15

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
 II – भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

अनुदान	वास्तविक	
	2010-11	2009-10
	(करोड़ रूपयों में)	
(ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान योजनेतर अनुदान		
संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आर्डर का विवरण)
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	6,66.36	4,59.19
राज्य आपदा दायित्व निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	...	1,57.89
राष्ट्रीय बिपत्तियों के कारण आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अनुदान	5,12.00	...
अन्य अनुदान	1,03.04	5,28.25
राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		
ब्लॉक अनुदान जिसका (बा० सं० यो० से सम्बन्धित)	8,11.76	5,97.26
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	1,74.86	66.39
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	40.88	32.64
अन्य अनुदान	7,99.49	2,86.68
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	8.62	55.05
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	9,90.24	6,33.28
विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान
जोड़ ग	41,07.25	28,16.63
जोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	1,87,81.12	1,51,18.47

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमांत
III – पूंजी, लोक ऋण एवं प्राप्तियाँ

विवरण	वास्तविक	
	2010-11	2009-10
	(करोड़ रूपयों में)	
घ पूंजी प्राप्तियाँ
विनिवेश		
अन्य
जोड़ घ
ङ लोक ऋण प्राप्तियाँ		
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
बाजार कर्ज	8,70.79	18,43.98
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	1,98.11	4,36.82
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	17.83	68.60
अन्य संस्थाओं से कर्ज	...	1,66.96
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	12,27.83	8,63.11
अन्य कर्ज
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
योजनेतर कर्ज	...	-17.42
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,31.88	7.39
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.03	...
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.04	...
अन्य कर्ज
जोड़ ङ	24,46.51	33,69.44
च राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसूलियाँ) [1]	24.12	21.79
छ अंतरराज्यीय परिशोधन	1.39	...
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	2,12,53.14	1,85,09.70

[1] द्वितीय खंड के विवरण संख्या 7 एवं विवरण संख्या 16 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय विवरणी
(समेकित निधि)

क-कार्यात्मक व्यय

विवरण		राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)					
क	सामान्य सेवाएँ				
क 1	राज्य के अंग				
	संसद / राज्य / संघ	36.33	36.33
	राज्य क्षेत्र विधानमंडल				
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	5.12	5.12
	मंत्री परिषद	3.10	3.10
	न्याय प्रशासन	2,06.09	2,06.09
	निर्वाचन	23.00	23.00
क 2	राजकोषीय सेवाएँ				
	भू-राजस्व	1,41.24	1,41.24
	स्टाम्प एवं पंजीकरण	15.39	15.39
	राज्य उत्पाद शुल्क	13.27	13.27
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	40.75	40.75
	वाहन कर	4.83	4.83
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर	0.38	0.38
	अन्य कर तथा शुल्क				
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.09	2.09
	ब्याज अदायगियाँ	22,27.54	22,27.54
क 3	प्रशासनिक सेवाएँ				
	लोक सेवा आयोग	3.55	3.55
	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1,50.96	1,50.96
	जिला प्रशासन	1,80.29	1,80.29
	खजाना एवं लेखा प्रशासन	14.27	14.27
	पुलिस	16,53.70	69.97	...	17,23.67
	जेल	60.77	60.77
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.56	1.56
	लोक निर्माण कार्य	66.08	40.77	...	1,06.85
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	59.39	9.30	...	68.69

4. व्यय विवरणी-क्रमशः

क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)
क सामान्य सेवाएँ-क्रमांत				
क 4 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ				
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	20,81.10	20,81.10
जोड़ सामान्य सेवाएँ	69,90.80	1,20.04	...	71,10.84
ख सामाजिक सेवाएँ				
ख 1 शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	...	54.20	...	54.20
सामान्य शिक्षा	36,63.18	36,63.18
तकनीकी शिक्षा	71.97	71.97
खेलकुद एवं युवा सेवाएँ	63.72	63.72
कला एवं संस्कृति	3.40	3.40
ख 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,99.92	1,42.68	...	7,42.60
परिवार कल्याण	74.00	74.00
ख 3 जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास				
जल पूर्ति एवं सफाई	2,79.13	2,67.25	...	5,46.38
आवास	18.10	8.52	2.20	28.82
शहरी विकास	1,40.26	21.70	12.68	1,74.64
ख 4 सूचना एवं प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	28.15	28.15
ख 5 अनुसूचित जातियों/जन-जातियो एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,36.33	1,87.53	...	6,23.86

4. व्यय विवरणी-क्रमशः

क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः

विवरण		राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)					
ख	सामाजिक सेवाएँ-क्रमांत				
ख 6	श्रमिक एवं श्रम कल्याण श्रम तथा रोजगार	1,33.75	1,33.75
ख 7	समाज कल्याण तथा पोषण सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पोषण प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	7,67.99 3,67.00 42.96	7,67.99 3,67.00 42.96
ख 8	अन्य अन्य सामाजिक सेवाएँ सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	0.13 17.31	0.13 17.31
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	67,07.30	6,81.88	14.88	74,04.06
ग	आर्थिक सेवाएँ				
ग 1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप फसल कृषि कर्म मृदा एवं जल संरक्षण पशुपालन डेरी विकास मछलीपालन वानिकी एवं वन्य जीवन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सहकारिता अन्य कृषि कार्यक्रम	1,77.73 46.05 88.79 54.00 21.66 2,20.89 52.87 1,57.07 1.93	1.50 7.19 ... 9.75 4.20 4.10 ...	1,79.23 46.05 88.79 54.00 28.85 2,20.89 62.62 1,65.37 1.93
ग 2	ग्राम विकास ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ग्राम रोजगार अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	49.80 3,35.15 12,93.33 5,93.87 1.52	49.80 3,35.15 18,88.72

4. व्यय विवरणी-क्रमशः

क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)
ग आर्थिक सेवाएँ-क्रमांत				
ग 3 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण				
मूख्य सिंचाई	93.42	49.64	...	1,43.06
मध्यम सिंचाई	1,09.77	1,14.19	...	2,23.96
लघु सिंचाई	60.91	92.40	...	1,53.31
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	...	11.56	...	11.56
ग 4 उर्जा				
बिजली	5,15.17	...	2,75.43	7,90.60
गैर पारंपरिक उर्जा श्रोत	20.00	20.00
ग 5 उद्योग तथा खनिज				
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	85.58	85.58
उद्योग	23.04	23.04
अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	17.19	0.10	...	17.29
उद्योग एवं खनिज पर अन्य व्यय	...	1.00	...	1.00
ग 6 परिवहन				
नगर विमानन	11.10	11.10
सड़क एवं सेतु	1,67.29	6,70.74	...	838.03
सड़क परिवहन	23.88	1.03	...	24.91
अन्य परिवहन सेवाएँ		3,00.16	...	3,00.16
ग 7 सामान्य आर्थिक सेवाएँ				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25.93	25.93
पर्यटन	3.14	5.05	...	8.19
जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	11.51	11.51
सिविल पूर्ति	5,76.00	5,76.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3.27	3.27
कुल आर्थिक सेवाएँ	42,46.47	18,62.38	2,81.05	63,89.90

4. व्यय विवरणी-क्रमशः

क-कार्यात्मक व्यय-क्रमांत

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
			(करोड़ रुपयों में)	
घ ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.17	0.17
ड सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	11.63	11.63
च लोक ऋण				
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	...	10,63.18	...	10,63.18
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	...	2,36.25	...	2,36.25
छ अंतरराज्जीय परिशोधन
कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.17	12,99.43	11.63	13,11.23
जोड़ व्यय समेकित निधि	1,79,44.74	39,63.73	3,07.56	2,22,16.03

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमशः

ख. व्यय की प्रकृति

व्यय का उद्देश्य	2008-09			2009-10			2010-11		
	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(करोड़ रुपये में)									
वेतन	39,12.56	35.18	39,47.74	52,88.51	53.03	53,41.54	55,78.98	62.69	56,41.67
सहायक अनुदान (क)	20,22.59	3,43.27	23,65.86	21,06.10	2,26.84	23,32.94	31,14.71	7.00	31,21.71
ब्याज अदायगियाँ	18,86.88	...	18,86.88	23,07.45	...	23,07.45	22,27.54	...	22,27.54
पेंशन प्रभार	9,88.40	...	9,88.40	16,80.83	...	16,80.83	20,81.10	...	20,81.10
मुख्य कार्य (राज्य योजना)	1,35.84	11,46.44	12,82.28	54.48	11,74.73	12,29.21	1,21.35	13,76.39	14,97.74
अन्य व्यय	9,46.74	5,48.09	14,94.83
राज्य अंशदान (ख)	8,09.15	1,66.15	9,75.30	11,35.40	1,50.86	12,86.26	11,55.11	1,32.91	12,88.02
उधार का पुर्नभुगतान	...	8,63.40	8,63.40	...	11,90.21	11,90.21	...	12,99.43	12,99.43
माल एवं आपूर्ति	2,70.18	...	2,70.18	9,88.87	40.29	10,29.16
ऋण एवं अग्रिम	...	4,18.19	4,18.19	...	3,19.98	3,19.98	...	3,07.56	3,07.56
केन्द्रांश	77.04	...	77.04	84.18	76.84	1,61.02	3,76.39	16.70	3,93.09
अंशदान	19.30	...	19.30	64.70	99.54	1,64.24	83.27	3,04.36	3,87.63
लघु निर्माण कार्य	1,42.70	1,64.62	3,07.32	1,74.68	1,29.74	3,04.42	2,18.74	74.75	2,93.49
अनुरक्षण एवं मरम्मत	1,72.38	36.75	2,09.13	1,55.96	21.31	1,77.27	1,86.39	18.21	2,04.60
अनुशासित राशि	1,00.57	1,00.91	2,01.48
छात्रवृत्ति/वृत्ति	1,23.72	...	1,23.72	1,31.98	...	1,31.98	1,37.01	12.73	1,49.74
मानदेय	1,49.39	...	1,49.39
विद्युत प्रभार	39.42	...	39.42	44.40	...	44.40	1,43.17	...	1,43.17
नकद राहत	1,00.26	...	1,00.26
अन्य अनुबंधित सेवाएं	99.25	...	99.25
सबसिडी	36.65	...	36.65	40.88	...	40.88	80.44	...	80.44
मजदुरी	90.78	...	90.78	70.88	...	70.88	73.76	...	73.76
कार्यालय व्यय	10,26.44	...	10,26.44	10,42.00	...	10,42.00	64.49	...	64.49
यात्रा व्यय	61.81	...	61.81	91.96	...	91.96	60.49	...	60.49
मशीन एवं उपस्कर	30.51	10.08	40.59	26.75	...	26.75	42.38	13.43	55.81

(क) सहायक अनुदान में वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में क्रमशः 'सर्व शिक्षा अभियान' पर ₹ 4,35 करोड़ एवं ₹ 2,20 करोड़ तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर ₹ 1,88.42 करोड़ एवं ₹ 2,64 करोड़, इंदिरा आवास योजना पर ₹ 3,26 करोड़ एवं ₹ 1,82 करोड़ तथा मनरेगा पर ₹ 1,17 करोड़ एवं ₹ 78 करोड़ व्यय शामिल नहीं है चूंकि उन पर हुए व्यय को राज्य बजट में सहायक अनुदान के रूप में वर्गीकृत नहीं था।

(ख) राज्य अंशदान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर हुआ व्यय शामिल है।

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमांत

ख. व्यय की प्रकृति-क्रमांत

व्यय का उद्देश्य	2007-08			2008-09			2009-10		
	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(करोड़ रूपये में)									
खेल प्रोत्साहन	48.87	...	48.87
मोटर गाड़ी	41.55	...	41.55	48.89	...	48.89	46.16	...	46.16
व्यावसायिक सेवाएं	50.23	...	50.23	40.31	...	40.31
संविदा भत्ता	37.27	...	37.27
मेडिकल स्टोर आपूर्ति	18.01	...	18.01	21.69	...	21.69	35.24	...	35.24
प्रशिक्षण व्यय	17.24	...	17.24
वर्दी	17.72	...	17.72	16.08	...	16.08
विज्ञापन एवं प्रचार	19.39	...	19.39	17.50	...	17.50	15.83	...	15.83
नई मोटर गाड़ी का क्रय	15.68	...	15.68
अन्य प्रशासनिक व्यय	1,03.92	...	1,03.92	1,77.81	...	1,77.81	10.45	...	10.45
आर्थिक सहायता	34.71	...	34.71	75.26	...	75.26
कर/शुल्क का हिस्सा	37.67	...	37.67
किराया दरें एवं कर	15.49	...	15.49	(ग)
निवेश	7.00	6.51	13.51	2.45	13.81	16.26
बिहार एवं झारखण्ड के बीच शेषों का समायोजन	...	1,45.87	1,45.87
अन्य (प्रत्येक आब्जेक्ट हेड के अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	8,38.36	12,57.50	20,95.86	4,73.86	8,18.18	12,92.04	65.50	8.74	74.24
सकल व्यय	1,29,62.45	45,93.96	1,75,56.41	1,53,86.55	42,75.07	1,96,61.62	1,84,79.03	43,24.19	2,28,03.22
घटाएं-वापसियां	85.55	1,15.23	2,00.78	2,58.31	61.84	3,20.15	5,34.30	52.89	5,87.19
निवल व्यय	1,28,76.90	44,78.73	1,73,55.63	1,51,28.24	42,13.23	1,93,41.47	1,79,44.73	42,71.30	2,22,16.03

(ग) किराया, दरें एवं कर ₹ 9.20 करोड़ 'अन्य' में शामिल है।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:

- (i) **विद्यमानता और लेखाकरण अवधि:** ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है।
- (ii) **लेखाकरण का आधार :** कुछ खाता समायोजनों (**लेखे पर टिप्पणियाँ की मद सं० 26**) को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। सम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक मूल्यों पर किया गया है तथा सरकारी निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।
- सरकार के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मियों को वर्तमान तथा भूतपूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है।
- वर्ष के दौरान राज्य सरकार के कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ में ₹ 20,81.10 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 11.60 प्रतिशत)। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा 1.12.2004 से प्रभावित भर्तियाँ अंशदायी पेंशन योजना के पात्र हैं। राज्य सरकार ने एक समझौता किया, जिसके तहत कर्मियों के अंशदान तथा नियोजक के अंशदान को एन.एस.डी.एल./ट्रस्ट बैंक को जमा किया जाना है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के द्वारा ₹ 1,07.17 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्ट बैंक में जमा किया गया, जिसमें ₹ 38.31 करोड़ मुख्य शीर्ष “8342-अन्य जमा, 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निरूपित अंशदान पेंशन योजना” कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹ 68.86 करोड़ नियोजक के अंशदान के रूप में मुख्य शीर्ष 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत जमा किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2011 को राज्य सरकार का दायित्व “8342- अन्य जमा, 117 सरकारी कर्मचारियों के लिए निरूपित अंशदान पेंशन योजना” में ₹ 12.57 करोड़ आता है।
- (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** सरकार के लेखे भारतीय रूपया में संधारित किया जाता है।
- (iv) **लेखे का फार्म :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द ‘फार्म’ का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षों के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।
- (v)(क) **राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :** राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय का माना जाता है। पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है। सहायक अनुदान पर होने वाले व्यय को अनुदान देने वाले के खाते में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्राप्तकर्ता के खाते में इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।
- (v)(ख) **पूंजी अनुभाग के अंतर्गत सहायक अनुदान :** निर्धारित नियम के तहत, स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान पर व्यय का वर्गीकरण राजस्व व्यय के रूप में किया जाना है। वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के रूप में निर्गत किए गए ₹ 2,46.15 करोड़ की कुल निधि में से, ₹ 7.00 करोड़ की राशि को, बजट प्रावधान के अनुसार, पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथा भाउचरों पर इस वर्गीकरण को दर्शाया गया है। इन्हें परिशिष्ट ‘ड’ में दिखाया गया है। फलतः वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकार के राजस्व घाटे को इसी राशि के अंतर्गत तक दिखाया गया है।

2. **12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित विवरणी/सूचना को सम्मिलित किए जाने की स्थिति :** परिशिष्ट ‘भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों पर विवरणी’ को वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे में संलग्न नहीं किया गया है। भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के निहितार्थ विवरण अथवा भविष्य के रोकड़ प्रवाह के

लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2010-11 के लिए बजट दस्तावेजों के अनुसार, नई योजनाओं पर प्रस्तावित ₹ 6,13.23 करोड़, जिन्हें 23 मांगों में विभाजित किया गया है। पूर्ण प्रावधान अनावर्तक प्रकृति के हैं। नई योजनाओं पर प्रस्तावित बजट में गैर योजना पर ₹ 74.14 करोड़, राज्य योजना पर ₹ 5,04.42 करोड़, केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं पर ₹ 21.67 करोड़ तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं पर ₹ 13.00 करोड़ सम्मिलित हैं।

3. प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान : झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें। ऐसे व्यय का मिलान 53 प्रतिशत नियंत्री पदाधिकारियों/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ही सरकार के कुल व्यय ₹ 2,06,09.03 करोड़ के विरुद्ध ₹ 40,28.70 करोड़, जो कि सरकार के कुल व्यय का 19.55 प्रतिशत है तथा 24 प्रतिशत नियंत्री पदाधिकारियों/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सरकार के कुल प्राप्तियों ₹ 1,87,81.12 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,03,49.82 करोड़ की प्राप्ति, जो कि सरकार के कुल प्राप्तियों का 55.11 प्रतिशत है, इस प्रकार से मिलान किया गया है।

4. महालेखाकार द्वारा सम्पदित रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष के बीच के अन्तर का मिलान

31 मार्च 2011 को महालेखाकार द्वारा रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा) के रूप में ₹ 8,91,39 करोड़ (जमा) सम्पदित किया गया। 31 मार्च 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष ₹ 9,92.45 करोड़ (नामे) था। इस प्रकार दोनों आंकड़ों के बीच ₹ 1,01.06 करोड़ (जमा) का निवल अन्तर था। लेखे के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित, रोकड़ शेष की स्थिति के विस्तृत विवरण को **विवरण सं० 18** के नीचे उद्धृत टिप्पणी में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2011 को ₹ 1,01.06 करोड़ (जमा) के अन्तर में वर्ष 2010-2011 के लिए ₹ 99.45 करोड़ (नामे) का अन्तर तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व के लिए मिलान नहीं किए गए ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का अन्तर शामिल है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 99.45 करोड़ (नामे) के अन्तर का समायोजन कर लिया गया है (जुलाई 2011)। ₹ 1.61 करोड़ (नामे) की राशि के अन्तर का भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के साथ मिलान प्रक्रिया के अंतर्गत है।

4. (क) रोकड़ एवं रोकड़ स्वरूप

कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास जमा एवं पारगमन प्रेषण से 'रोकड़ एवं रोकड़ स्वरूप' का निर्माण होता है। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति प्राप्ति के लिए, कोषागारों-विभागों के पास रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/संचित निधियों से किया गया निवेश इत्यादि को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा' के साथ जोड़ा जाता है। वित्त लेखे के **विवरण संख्या 1** में रोकड़ की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाया गया है। रोकड़ की सम्पूर्ण स्थिति में, 31 मार्च 2011 तक की अव्ययित हिस्से की राशि, जिसे बैंक लेखे में, सेवा शीर्ष को नामे कर, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानान्तरित किया गया, शामिल नहीं है। इसी स्थिति के अनुरूप, सरकार के व्यय का अधिकथन तथा रोकड़ की स्थिति में कमी दर्शायी जाती है।

5. लघुशीर्ष 800- "अन्य प्राप्तियाँ" तथा "अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकरण

वित्तीय लेन देनों को, अवशिष्ट लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना, सरकार द्वारा संपन्न किए गए क्रिया-कलापों की प्रवृत्ति को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए लेन देनों को विशिष्ट लघु शीर्षों के अंतर्गत पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता है। तथापि यह पाया गया कि 19 राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण व्यय लेखा शीर्षों (सरकार के क्रिया-कलापों को दर्शानेवाला) के अंतर्गत हुए ₹ 3,89.82 करोड़, जो राजस्व, पूंजी एवं ऋण के संबंधित मुख्य शीर्षों पर हुए कुल व्यय का 4.77 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन लघु लेखा शीर्ष 800-"अन्य व्यय" के रूप में वर्गीकृत किए गए कुल व्यय को "लेखे पर टिप्पणियाँ" के **परिशिष्ट (ग)** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार लघु शीर्ष 800 - "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत 34 राजस्व मुख्य शीर्षों के प्राप्तियों के रूप में ₹ 600.46 करोड़, जो कुल प्राप्तियों के 30.39 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन दर्ज किया गया है। "अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन कुल प्राप्तियों को, "लेखे पर टिप्पणियाँ" के **परिशिष्ट घ** में दर्शाया गया है।

6. असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए०सी०बिल०) का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकास्मिक विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में एक निश्चित अवधि के अन्दर विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित (अंतिम व्यय के लिए प्रमाणक) उनके द्वारा उपस्थापित करना अनिवार्य है। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2010-11 (15.09.11 की स्थिति) तक ₹ 62,39.00 करोड़ के कुल 29078 डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त रहे। आकस्मिक विपत्र के द्वारा राशि की निकासी संवितरण को दर्शाता है, न कि वास्तविक व्यय को। वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	48783	1,01,74	22761	53,22	26022	48,52
2009-10	2084	9,97	492	2,82	1592	7,15
2010-11	1622	7,71	158	99	1464	6,72
योग	52489	1,19,42	23411	57,03	29078	62,39

6. (क) योजना शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि की निकासी

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 290, विशेष रूप से उल्लेख करता है कि “आकास्मिक व्यय” या “आकस्मिकताएं” का आशय तथा सभी अपघटित एवं अन्य व्यय, जिन्हें किसी कार्यालय का, कार्यालय के रूप में, प्रबंधन हेतु अथवा किसी विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए वैसे व्यय, जिनका वर्गीकरण किसी दूसरे व्यय शीर्ष में उल्लेखित है, जैसे : ‘कार्य’, ‘स्टॉक’, ‘उपकरण एवं प्लान्ट’ आदि को छोड़कर, सम्मिलित है।

योजना शीर्ष के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित ₹ 2,84.62 करोड़ को वैसे विपत्र फॉर्म में निकाला गया, जो ‘आकस्मिक व्यय’ की राशि की निकासी के लिए प्रस्तावित है। वर्ष 2010-11 में निकासी की गई कुल राशि में से ₹ 2,01.17 करोड़ की निकासी आकस्मिक विपत्र द्वारा एवं ₹ 83.45 करोड़ की निकासी सम्पूर्ण भाउचर सहित आकस्मिक बिल के द्वारा की गई।

योजना शीर्ष के अंतर्गत व्यय मुख्यतः योजना से संबंधित होता है, जिसके लिए विस्तृत भाउचर/ उपयोगिता प्रमाणपत्र/ चलन्त लेखा विपत्र इत्यादि को जमा किए जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह की व्यय की प्रकृति ‘आकस्मिक व्यय’ की नहीं होती है, इसलिए वैसे मामलों में ‘आकस्मिक विपत्र’ द्वारा निकासी की गई राशि के समायोजन हेतु ‘विस्तृत आकस्मिक विपत्र’ जमा किया जाना आवश्यक नहीं है।

6. (ख) निधि का सरकारी लेखे से बाहर (बैंक लेखे) अवस्थित होना

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी केवल तभी हो सकता है, जबकि तत्काल भुगतान हेतु उसकी आवश्यकता हो। कार्य के विनिर्माण हेतु, जिसके पूर्ण होने में विचारणीय समय अपेक्षित है या विनियोग के लैप्स हो जाने की दशा में, माँग के प्राप्त होने की आशा में कोषागार से अग्रिम की निकासी मान्य नहीं है। वर्ष 2011 के मार्च महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में ₹ 1,56.20 करोड़ की राशि, जिसकी निकासी ‘आकस्मिक विपत्र’ तथा ‘सम्पूर्ण भाउचर सहित आकस्मिक विपत्र’ से की गई, को बैंक लेखे में रखा गया।

आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई निकासी के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा ‘सम्पूर्ण भाउचर सहित आकस्मिक विपत्र’ द्वारा की गई निकासी के द्वारा वर्ष 2010-11 में हुए व्यय के समर्थन में “सब-भाउचरों” की प्राप्ति 30.06.2011 तक नहीं हुई है। ₹ 1,62.32 करोड़ के ‘अनुदानों’ की निकासी भी, वर्ष 2011 के मार्च महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में की गई तथा इसे बैंक लेखे में रखा गया।

7. वर्ष 2010-11 में राशि का समेकित निधि से लोक लेखे में स्थानापन्न

मार्च 2011 के अंतिम चार कार्य दिवसों में निकासी की गई ₹ 3,82.04 करोड़ की अनुदान राशि को सेवा शीर्ष को नामे कर स्थानीय निधि लेखे में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार की राशि का स्थानान्तरण संवितरण को दर्शाता है, न कि वित्तीय वर्ष के दौरान हुए व्यय को। बजट में रेखांकित मदों के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय, विनियोग अधिनियम के अनुरूप, सुनिश्चित उद्देश्य हेतु, होना चाहिए। इसे, 'लेखे पर टिप्पणियाँ' के मद सं० 26 में "अन्य समायोजन" के तहत दर्शाया गया है।

8. राज्य बजट में "सहायक अनुदान" को "सहायक अनुदान" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जाना

राज्य बजट में, वस्तु शीर्ष-सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में '70-राज्यांश' के अंतर्गत बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह केन्द्र के हिस्से के रूप में, वस्तु शीर्ष '69-केन्द्रांश' है। राज्यांश/केन्द्रांश साधारणतया निधि के स्रोत को बताते हैं, ये व्यय की प्रकृति को नहीं बताते। वर्ष 2010-11 के लिए वित्त लेखे में 'सर्व शिक्षा अभियान' पर ₹ 2,20.00 करोड़, 'मध्याह्न भोजन' पर ₹ 2,64.00 करोड़, 'इंदिरा आवास योजना' पर ₹ 1,82.00 करोड़ एवं 'मनरेगा' पर ₹ 78.00 करोड़ के व्यय को सहायक अनुदान के रूप में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य बजट में इन राशियों के व्यय को अनुदान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तथापि इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपरोक्त राशियों को केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में लेखे में वर्गीकृत किया गया है।

9. सहायक अनुदान का संवितरण

झारखंड वित्तीय नियमावली का नियम 340 यह व्याख्यादेश देता है कि सहायक अनुदान जैसे व्यक्ति या निकाय को दिया जाता है, जो सरकार से स्वतंत्र है। वर्ष 2010-11 में ₹ 31,14.71 करोड़ का सहायक अनुदान वितरित किया गया।

सहायक अनुदान के विपत्रों को विपत्र फार्म टी०सी० - 60 में प्रस्तुत किया जाना है, जिसे सहायक अनुदान पाने वाले के द्वारा भाउचरों को संलग्न कर तैयार किया जाना चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले या जैसे सरकारी पदाधिकारी, जो कि इसके लिए प्राधिकृत है, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

₹ 6,76.50 करोड़ की राशि को प्रत्यक्ष रूप से अनुदानित निकायों की जगह, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वितरित किया गया। परिशिष्ट IV में विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

₹ 5,95.16 करोड़ की राशि के 'सहायक अनुदान' की निकासी अनुमोदित विपत्र फार्म टी०सी० 60 के स्थान पर, गलत विपत्र फार्मों टी०सी० 37 (₹ 2,67.44 करोड़), टी०सी० 37 ए० (₹ 3.79 करोड़), टी०सी० 38 (₹ 7.25 करोड़) टी०सी० 76 (₹ 3,16.68 करोड़) से की गई। जहाँ राशि की निकासी टी०सी० 37 में की गई, वहाँ विपत्रों के साथ कोई भी सब-भाउचर संलग्न नहीं पाया गया, टी०सी० 37 ए० से निकासी की गई सहायक अनुदान के लिए अलग से महालेखाकार कार्यालय को सब-भाउचर भी नहीं भेजा गया तथा टी०सी०-38 से निकासी की गई राशि के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्र भी नहीं जमा किया गया। नियमानुसार, सहायक अनुदान के अंतर्गत निकासी की गई राशि के लिए 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' जमा किए जाने की आवश्यकता है, जो सहायक अनुदान की राशि के व्यय को अभिपुष्ट करता है।

10. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 429 के तहत राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध महालेखाकार (ले. एवं ह.) के द्वारा निर्गत प्राधिकारों के अधार पर सहायक अनुदानों का वितरण किया जाता है। 30 जून 2011 तक राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (सहायक अनुदान के विरुद्ध किए गए व्यय के समर्थन में प्रस्तुत) की प्राप्ति अवलम्बित है, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	प्रतिक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	सम्मिलित राशि (करोड़ रूपयों में)
2007-2008 तक	1423	20,72.78
2008-2009	499	6,03.68
2009-2010	745	11,15.57
2010-2011	1375	13,77.64

11. व्यक्तिगत जमा खाता में निधि का स्थानान्तरण

यद्यपि सरकार किसी विशेष प्रयोजन के लिए निकासी की गई राशि को जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है, संचालकों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को इस खाते को बन्द कर देना तथा शेष राशि को सरकारी खाते में वापस कर देना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया है। 31 मार्च 2011 तक व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशि के रूप में ₹ 68.56 करोड़, जो राज्य अधिवक्ता कल्याण संघ निधि का प्रतिनिधित्व करता है, को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी कमेटी के बैंक लेखे में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है।

12. राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वृहद कार्य

वृहद कार्यों पर ₹ 1,21.35 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जैसा कि वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे के परिशिष्ट 'च' में, पूंजी अनुभाग के संबंधित मुख्य शीर्षों के बजाए इन मुख्य शीर्षों में बजट प्रावधान किए जाने के कारण दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकार का राजस्व घाटा, इसी राशि के द्वारा अतिकथन के रूप में रखा गया है।

13. गुप्त सेवा निधि के लिए पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा के प्रमाणपत्र का अप्राप्त रहना

वर्तमान नियम के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा का संचालन किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वर्षों से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित है :-

क्रम सं०	वर्ष	व्यय एवं संवितरण पदाधिकारी	राशि (करोड़ रूपयों में)	प्रमाणपत्र उपस्थापन की नियत तिथि
1.	2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2.	2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
3.	2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
4.	2009-10	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.03	31 अगस्त 2010 को या उससे पहले

14. गारंटियों को निर्गत करने हेतु राज्य सरकार की आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार जो कि गारंटियों को निर्गत करने का प्राधिकारी है, से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर **विवरण संख्या 9** में गारंटियों को प्रतिवेदित किया जाता है। दिनांक 14.11.2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा दिए गए गारंटियों को अभी तक (जून 2011) उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है। राज्य सरकार का राजकोषीय शोधन पत्र यह उद्घाटित करता है कि सरकार द्वारा मार्च 2011 के अंत तक दिए गए ₹ 5,00.00 करोड़, गारंटियों के रूप में बकाया था। सरकार द्वारा दिए गये गारंटियों से समबन्धित विस्तृत सूचना, राज्य सरकार से अपेक्षित है।

15. समेकित कर्ज के अंतर्गत कर्जों का अधित्याग तथा राहत सुविधाएं

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर सरकार को कर्जों का समेकितकरण तथा राहत सुविधाओं से संबंधित, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की स्वीकृति पर वर्ष 2010-11 के दौरान समेकित उधार अग्रिम की मूलधन की वापसी के रूप में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के लिए ₹ 1,04.95 करोड़, मुख्य शीर्ष '0075- विविध सामान्य सेवाएं, 800 - अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज की गई, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्जों के समेकितकरण तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत कर्ज अधित्याग को दर्शाता है।

16. कर्जें तथा अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे में कर्जें तथा अग्रिम से संबंधित पूर्ण सूचनाएं समाहित नहीं हैं। कर्जें तथा अग्रिम के संबंध में मूल तथा ब्याज के ओभरड्यू के विस्तृत विवरण, जो कि राज्य सरकार के द्वारा संधारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित है (जून 2011)। इस संबंध में, 31 मार्च 2011 के अनुरूप शेषों की पुष्टि राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इस कारण से, इसी सीमा तक राज्य सरकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्थिति अपूर्ण है। कर्जें के संबंध में, जिसका विस्तृत लेखा, महालेखाकार द्वारा सम्पोषित है, शेषों की पुष्टि किए जाने हेतु प्रत्येक पृथक कर्जदार से आग्रह किया गया था, लेकिन किसी के द्वारा भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। परिशिष्ट VIII के अनुलग्नक 'क' में इसका उल्लेख किया गया है।

17. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप, शेषों का आवंटन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के संबंध में, पूंजी अनुभाग, कर्जें तथा अग्रिम और लोक लेखा के शेषों को 14.11.2000 तक बंटवारा नहीं किया गया है। अधिनियम के धारा 43 तथा 48 के तहत लोक ऋण तथा रोकड़ शेषों को, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संधारित है, को उत्तरवर्ती राज्य बिहार तथा झारखंड के बीच केवल अनुपातिक स्तर पर बांट दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड राज्य के वित्त लेखे में, झारखंड राज्य के गठन 15 नवम्बर 2000 से प्रभावित परिसम्पत्तियों और दायित्वों को, जिसका बंटवारा अपेक्षित है, को शून्य से निर्धारित किया गया है। 31.03.2011 तक अपेक्षित शेषों के बंटवारे की सूची को **परिशिष्ट XII** में दर्शाया गया है।

18. राज्य आपदा दायित्व निधि में स्थानान्तरण

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010-11 के दौरान, मुख्य शीर्ष "8121 - सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां, 122- राज्य आपदा दायित्व निधि" के अंतर्गत "राज्य आपदा दायित्व निधि" खोला गया। मुख्य शीर्ष 8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत 111-आपदा राहत निधि - ₹ 8,60.55 करोड़ (जमा), 112- आपदा राहत निधि-निवेश लेखा- ₹ 1,16.22 करोड़ (नामे) एवं 200- अन्य निधियाँ- ₹ 23.60 करोड़ (जमा) के शेषों को 31 मार्च 2010 को प्रारम्भिक शेष के रूप में मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा दायित्व निधि" में स्थानान्तरित किया गया (₹ 7,67.23 करोड़)।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 'राज्य आपदा दायित्व निधि' के केन्द्रांश के रूप में ₹ 1,94.59 करोड़ (वर्ष 2010-11 के लिए पहली एवं दूसरी किस्त के रूप में) निर्गत किया गया। 'राज्य आपदा दायित्व निधि' के प्रशासन एवं संचालन, जो कि भारत सरकार के द्वारा शासित है, के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप

में प्राप्त ₹ 1,94.59 करोड़ की राशि के साथ राज्यांश के रूप में ₹ 64.86 करोड़, कुल ₹ 2,59.45 करोड़ को शीर्ष “8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ, 122- राज्य आपदा दायित्व निधि” में वर्ष 2010-11 में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 में ‘राज्य आपदा दायित्व निधि’ में ₹ 2,59.45 करोड़ स्थानान्तरित कर दिया है।

19. राज्य सरकार/भारत सरकार के द्वारा स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों, कार्यकारी एजेंसियों/गैर सरकारी संस्थानों को दी गई निधियाँ

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों एवं प्राधिकारों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों को ₹ 16,84.11 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः पूरी निधि खर्च नहीं की जाती है, उनके अव्ययित शेष इन क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में रह जाते हैं। इस प्रकार से अव्ययित तथा बैंक खाते में रखी गई राशि की सीमा वर्तमान में ज्ञातव्य नहीं है। सरकारी व्यय की सीमा जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है, इस कारण से, उस सीमा का विवरणाधिक्य है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वर्ष 2010-11 में, केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से, स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों/क्रियान्वित अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को झारखंड राज्य में केन्द्रीय खंड/केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्गत किए गए ₹ 43,29.47 करोड़, झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे में शामिल नहीं किया गया है। निर्गत की गई यह राशि राज्य के बजट का अनुगामी नहीं है। आंकड़ों का स्रोत, महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, भारत सरकार के पोर्टल है। इस निर्गत के विरुद्ध व्यय को वित्त लेखे में नहीं जोड़ा गया है।

20. उचंत एवं प्रेषण का निवल आधार पर आकलन

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया ‘नामे’ एवं बकाया ‘जमा’ शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों (मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत) के सकल आंकड़ों की स्थिति नीचे दिए गए हैं :-

लघु शीर्ष का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	36.38	33.75	48.60	42.94	58.26	54.15
निवल	नामे 2.63		नामे 5.66		नामे 4.11	
102- उचंत लेखा (सिविल)	84.33	47.06	91.42	56.99	97.33	63.44
निवल	नामे 37.27		नामे 34.43		नामे 33.89	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 5.90	(-) 2.46	(-) 5.94	-5.93	(-) 5.97	(-) 7.50
निवल	जमा 3.44		जमा 0.01		जमा 1.53	
110- रिजर्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	(-) 37.48	(-) 1,00.52	44.61	11.06	66.70	0.64
निवल	नामे 63.04		नामे 33.55		नामे 66.06	

लघु शीर्ष का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
111- विभागीय समायोजन लेखा उचंत	33.33	(-) 12.85
निवल	नामे 46.18		शून्य		शून्य	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	...	48.15	...	1,08.08	...	1,09.76
निवल	जमा 48.15		जमा 1,08.08		जमा 1,09.76	

21. अप्राप्त वाउचर

कोषागार से प्राप्त भुगतान अनुसूची से मिलान कर वाउचरों को संकलन किए जाने के क्रम में, भाउचरों की अप्राप्ति के कारण अनुसूची योग तथा संकलित वाउचरों का कुल योग में अन्तर उत्पन्न होता है। प्रारंभिक अवस्था में इस अन्तर को “विभागीय समायोजन लेखा” में दर्ज किया जाता है तथा वाउचरों या भुगतान प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर संबंधित लेखा शीर्ष के प्रतिपक्ष ‘नामे’ द्वारा इसका समायोजन किया जाता है। ₹ 78.44 करोड़ की राशि, शीर्ष 8658 - उचंत लेखा, 102 - उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ‘विभागीय समायोजन लेखा’ में, कोषागार से भाउचरों या भुगतान प्रमाणपत्र के अप्राप्त रहने के कारण, रखा गया। सरकार के व्यय को, ‘आपत्तिगत बही उचंत’ की राशि की सीमा तक कम दर्शाया गया है। विवरण संख्या 18 में शीर्ष “आपत्तिगत बही उचंत” के अंतर्गत बकाया शेष को भी उचंत शेषों के विश्लेषण में दर्शाया गया है।

‘आपत्तिगत बही उचंत’ के अंतर्गत रखे गए वर्षवार राशियों को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	आवेष्टित राशि
2007-08	63.54
2008-09	9.82
2009-10	4.38
2010-11	0.70

22. आरक्षित निधियाँ

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में, देयताओं के परिशोधन तथा गारंटियों के विमोचन हेतु निक्षेप निधि का सृजन नहीं किया गया है।

23. लेखे का प्रेषण

राज्य सरकार के लेखे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है, मुख्य रूप से कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा दिए गए आरंभिक लेखों पर आधारित होता है। निर्धारित देय तिथि, कोषागार लेखे के मामले में, अगले महीने की 5वीं तारीख तक तथा वन एवं लोक निर्माण लेखे के मामलों में अगले महीने की 10वीं तारीख तक लेखे का अप्राप्त रहना, निम्नलिखित के कारण बनते हैं :-

- लेखे के संकलन में विलम्ब
- मासिक सिविल लेखे में लेखे का सम्मिलित नहीं किया जाना
- फलस्वरूप, लेखे के संकलन में अपूर्ण सूचना
- राज्य सरकार के दावों को प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब

- (v) पूर्व तिथि पर मौद्रिक समायोजन का प्रभावित होना
- (vi) योजना व्यय की प्रमाणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव, तथा
- (vii) भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में दर्शाए गए रोकड़ शेष के मिलान पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2010-11 में लेखे प्रेषित करने वाले विभिन्न इकाइयों से लेखे की प्राप्ति में विलम्ब को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रम सं०	विलम्ब की अवधि की सीमा	कोषागारों की संख्या	लोक निर्माण-कार्य प्रमंडलों की संख्या	वन प्रमंडलों की संख्या
1	1 से 15 दिनों तक	98	452	820
2	15 दिनों से अधिक एवं 30 दिनों तक	शून्य	14	64
3	30 दिनों से अधिक	शून्य	03	04

24. दामोदर घाटी निगम के ऋण अंशदान में भिन्नता

संयुक्त बिहार राज्य के दामोदर घाटी निगम के ऋण पूंजी अंशदान के रूप में ₹ 49.36 करोड़, दामोदर घाटी निगम के 2009-10 के अंकेक्षित लेखे में दर्ज ₹ 15,64.67 करोड़ से भिन्न है। दोनों प्रकार के लेखे में भिन्नता, राज्य सरकार के लाभ के हिस्से (सिंचाई तथा उर्जा अधिव्यय) और राज्य के कर्जे पर निर्धारित ब्याज को वापस दामोदर घाटी निगम के खाते में लाया जाना है। इसी तिथि पर दामोदर घाटी निगम के लेखों में निवल दायित्व ₹ 61,74.22 करोड़ के विरुद्ध संयुक्त बिहार राज्य के सरकार द्वारा समयोजित ₹ 15,64.67 करोड़ के ऋण पूंजी अंशदान, के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे ही 14.11.2000 को बिहार और झारखंड के बीच बंटवारा होता है, दामोदर घाटी निगम में झारखंड सरकार के हिस्सा पूंजी का सही राशि वित्त लेखे में प्रदर्शित होगा।

25. झारखंड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण की आवश्यकता

राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण तैयार किया है :-

- (क) निर्धारित राजकोषीय सूचकांक के अभिकलन को दोषपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रहे या करनेवाले, लेखाकरण मानकों, नीतियों एवं व्यवहारिकता में सार्थक परिवर्तन करने का विवरण।
- (ख) बजट, जिसमें सरकार, लोक उपक्रम तथा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत विवरण तथा तत्संबंधी वेतन, के साथ विशेष विवरण।
- (ग) बजट के संपादन तथा राजकोषीय लक्ष्यों/सूचकांक की प्राप्तियों पर एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- (घ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोषागारों में प्रस्तुत वैसे विपत्र, जिसकी नकदीकरण नहीं हुई है, का विवरण।
- (ङ) गतवर्ष के केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से का उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा चालू वित्तीय वर्ष में वैसे राज्यांश के घाटे का प्रभाव।
- (च) किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता तथा उस वर्ष की समाप्ति पर उसका उपयोग नहीं किया जाना, तथा
- (छ) संवितरण नहीं किए गए, वैसे राशि जो सिविल जमा में रखे गए हैं।

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण, अभी भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है :-

- (क) आगामी दस वर्षों के लिए अनुमानित पेंशन दायित्व को वास्तविक आधार पर आकलन
- (ख) बकाया राजस्व (कल तथा करेतर राजस्व दोनों) को दर्शानेवाला एक अलग विवरण, प्राप्त बजट के साथ, परिशिष्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों को संस्था-वार दर्शानेवाला विवरण, जिसमें इन संस्थाओं द्वारा ऋण सुधार दायित्व एवं आकस्मिक दायित्व की विमुक्ति में किए गए चूक को, राज्य सरकार के लेखे में इन संस्थाओं के द्वारा किए गए चूक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। लोक उपक्रमों/सहकारिताओं/शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा खोले गए निलम्बलेख लेखों की कार्य पद्धतियों को इस विवरण में दर्शाया जाना चाहिए।
- (घ) वित्तीय वर्ष में दिए गए कर-रियायत तथा कर-माफी को दर्शानेवाला विवरण
- (ङ) ऋण तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को, परिपक्वता पाश्चिका तथा ब्याज दर के स्तर पर, पूरी जानकारी के साथ दर्शानेवाला विवरण।

26. खाता समायोजन (लेखे पर टिप्पणियों के मद । (ii) के संदर्भ में)

क. आवर्त समायोजन :-

क्रम सं.	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	(करोड़ रूपयों में)
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2,59.45
2.	राज्य आपदा प्रबंधन निधि में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	4,84.08
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियां	1,64.74
4.	राज्य कर्मियों का सामुहिक बीमा पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8011	बीमा तथा पेंशन निधियाँ	6.04
5.	भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण राहत	6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0075	विविध सामान्य सेवाएं	1,04.96

ख. अन्य समायोजन

क्रम सं.	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष			राशि	
			से		को (करोड़ रुपयों में)	
1.	राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान में 'भुगतान आधारित बिस्तर' के निर्माण के लिए व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों की जमा	15.00
2.	व्यक्तिगत खाते में जमा किया गया, 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान का मूल्य	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा	37.46
3.	जिला परिषद् के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित, 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान का मूल्य	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा	111.51
4.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए जिला परिषद् के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा	48.23
5.	रिसोर्स गैप के रूप में 34 वें राष्ट्रीय खेल को विद्युत आपूर्ति के लिए झारखंड राज्य विद्युत निगम के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित	2801	उर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	150.00
6.	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को विद्युत निगम के खाते में स्थानांतरण	2801	उर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	9.84
7.	सोलर लैम्प के उपस्थापन के लिए झारखंड नवीकरण उर्जा के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित	2810	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	10.00

राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी व्यक्तिगत खातों को महालेखाकार की सहमति से खोला गया है।

27. विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं उसके सदृश राज्यांश की विमुक्ति

विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त राशि में ₹ 4,24.29 करोड़ की कमी का अन्तर था। उसके सदृश इन योजनाओं के लिए राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा ₹ 2,90.39 करोड़ कम की राशि की विमुक्ति हुई, जैसा कि विवरण सं०12 के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट "ग"
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 5 से संदर्भित)
"अन्य व्यय" के रूप में वर्गीकृत व्यय को दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल व्यय	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि की कुल व्यय पर प्रतिशतता
(करोड़ रूपयों में)					
1.	2014	न्याय प्रशासन	0.48	206.08	0.23
2.	2053	जिला प्रशासन	36.82	180.29	20.42
3.	2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	0.47	14.27	3.29
4.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7.71	59.40	12.98
5.	2202	सामान्य शिक्षा	13.48	3663.18	0.37
6.	2203	तकनीकी शिक्षा	0.10	71.97	0.14
7.	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	58.09	599.92	9.68
8.	2225	अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.12	436.33	0.49
9.	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.41	767.99	0.05
10.	2401	फसल कृषि कर्म	33.90	177.73	19.07
11.	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	17.02	220.89	7.71
12.	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	14.49	49.80	29.10
13.	2801	बिजली	32.90	515.17	6.39
14.	3456	सिविल पूर्ति	6.26	575.99	1.09
15.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.50	4.77	31.45
16.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	53.73	144.19	47.05
17.	6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2.97	236.25	1.26
18.	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	107.37	275.43	38.98
कुल जोड़			389.82	8169.65	4.77

परिशिष्ट "घ"
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 5 से संदर्भित)
"अन्य प्राप्तियां" के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियां के विस्तृत व्यौरे को दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियां	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि की कुल प्राप्तियों पर प्रतिशतता
(करोड़ रूपयों में)					
1.	0029	भू-राजस्व	5.71	130.65	4.37
2.	0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	14.99	328.35	4.57
3.	0039	राज्य उत्पाद शुल्क	1.27	388.34	0.33
4.	0041	वाहन कर	152.74	312.37	48.90
5.	0043	विद्युत कर तथा शुल्क	0.16	53.50	0.30
6.	0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.27	8.91	3.03
7.	0049	ब्याज प्राप्तियां	7.13	98.74	7.22
8.	0055	पुलिस	1.97	12.01	16.40
9.	0056	जेल	0.75	2.91	25.77
10.	0057	पूर्ति तथा निपटान	0.09	0.09	100.00
11.	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.09	0.09	100.00
12.	0059	लोक निर्माण कार्य	2.17	2.18	99.54
13.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	13.89	21.51	64.57
14.	0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान	1.00	3.40	29.41
15.	0075	विविध सामान्य सेवाएं	105.19	265.63	39.60
16.	0202	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	4.32	14.24	30.34
17.	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1.11	19.17	5.79
18.	0211	परिवार कल्याण	0.05	0.05	100.00
19.	0215	जल पूर्ति तथा सफाई	8.22	8.74	94.05
20.	0217	शहरी विकास	0.03	0.03	100.00
21.	0230	श्रम तथा रोजगार	0.47	19.27	2.44
22.	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22.74	23.85	95.35
23.	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	40.53	40.76	99.44
24.	0401	फसल कृषि - कर्म	3.47	3.47	100.00
25.	0403	पशुपालन	0.14	1.04	13.46
26.	0404	डेरी विकास	0.77	0.78	98.72

परिशिष्ट "घ"
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 5 से संदर्भित)
"अन्य प्राप्तियां" के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियां के विस्तृत व्यौरे को दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियां	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि की कुल प्राप्तिओं पर प्रतिशतता
(करोड़ रूपयों में)					
27.	0405	मछली पालन	2.34	2.47	94.74
28.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.27	4.76	89.71
29.	0425	सहकारिता	0.54	0.91	59.34
30.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.11	0.11	100.00
31.	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11.19	12.89	86.81
32.	0700	मुख्य सिंचाई	59.97	59.97	100.00
33.	0701	मध्यम सिंचाई	29.52	29.52	100.00
34.	0702	लघु सिंचाई	2.63	2.63	100.00
35.	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.92	0.97	94.85
36.	1053	नागर विमानन	1.03	1.03	100.00
37.	1054	सड़क तथा सेतु	19.25	20.16	95.49
38.	1452	पर्यटन	78.82	79.52	99.12
39.	1456	सिविल पूर्ति	0.60	0.60	100.00
जोड़			600.60	19,75.62	30.39

परिशिष्ट “ड”
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 9 से संदर्भित)
पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान

मुख्य शीर्ष	नामकरण	विस्तृत एवं प्राथमिक शीर्ष कोड	नामकरण	राशि
				(करोड़ रूपयों में)
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0646	सहाय्य अनुदान (सहायता अनुदान)	4.00
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0646	सहाय्य अनुदान (सहायता अनुदान)	2.00
4885	उद्योगों तथा खनिज पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	0646	सहाय्य अनुदान (सहायता अनुदान)	1.00
			कुल	7.00

परिशिष्ट "च"
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 16 में संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
					(करोड़ रूपयों में)	
2029	00	102	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिये	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	3.96
2029	00	104	11	सैशत के अंतर्गत हाट, बाजार, मेरा, तालाब नदी घाटी का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.20
2029	00	796	07	-वही-	-वही-	0.22
2029	00	796	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण। जीर्णोद्धार के लिए	-वही-	4.95
2040	00	101	03	भूमि अधिग्रहण, आधार भूत संरचना का विकास एवं निर्माण	-वही-	0.61
2040	00	796	03	-वही-	-वही-	1.68
2053	00	796	12	योजना भवन का निर्माण	-वही-	1.00
2202	03	796	12	उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय	-वही-	49.00
2202	03	796	21	उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण	-वही-	2.20
2216	05	053	03	लोक निर्माण कार्य- राज्य में लोक निर्माण कार्य के भवन निर्माण से संबंधित लघु कार्य	-वही-	2.76
2220	60	796	03	क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण	-वही-	0.20
2225	01	789	22	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण योजना	-वही-	0.45
2225	02	277	66	नवसल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	-वही-	0.66

**परिशिष्ट 'च'-क्रमशः
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 16 में संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य**

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
(करोड़ रूपयों में)						
2225	02	277	68	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आश्रम विद्यालय की स्थापना	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	11.04
2225	02	796	47	शिक्षा-जाहेरस्थान। हड़गड़ी/मसना/सरना स्थल का पुनरूद्धार एवं चारदीवारी का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.01
2225	02	796	68	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आश्रम विद्यालय की स्थापना	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	6.10
2225	02	796	69	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	1.55
2230	01	001	05	श्रम कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	5.75
2230	01	109	12	बीड़ी कामगारों के लिए आवास निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.01
2230	02	101	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.79
2230	02	789	03	रोजगार कार्यालयों का सृद्धीकरण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.50
2230	02	796	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.05
2230	03	003	01	औद्योगिक संस्थानों का उत्क्रमण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.13
2235	02	101	07	मूक एवं बाधिर विद्यालय	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.15
2235	02	103	24	उतरकालीन संरक्षण गृह/ उपेक्षित, असहाय तथा परिव्यक्त महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.10

परिशिष्ट “च”-क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 16 में संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
					(करोड़ रूपयों में)	
2235	02	796	38	बाल विकास योजना भवन तथा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	7.53
2235	02	796	39	रिमाण्ड होम (सुधार-गृह) का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.45
2235	02	796	50	समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय सहित)	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.25
2401	00	796	17	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	4.00
2425	00	796	05	लैम्पस के व्यापारिक विकास के लिए गोदामों का निर्माण/ मरम्मतकीकरण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.35
कुल						121.35

टिप्पणी : मुख्य निर्माण कार्य के व्यय में भूमि का अधिग्रहण और ढाँचों की लागत शामिल है।

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 को
	(लाख रूपयों में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा [1]	-7,53,09.57	-8,91,38.72
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	13,59,39.03	8,79,19.02
जोड़-(क)	6,06,29.46	-12,19.70
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	34,50.31	11,67.54
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	10.85	10.85
(3) उद्विष्ट निधियों के निवेश	1,16,22.00	...
जोड़-(ख)	1,50,83.16	11,78.39
जोड़-(क) और (ख)	7,57,12.62	-41.31

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, "रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य" का निर्माण करते हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 45.00 लाख का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष [2] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर, अन्तर्शासकीय लेन देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो तो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो तो, न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पूर्णनिवेश किया जाता है। जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्वता नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों के कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

[1] रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अंतर्गत शेष, 16 अप्रैल 2011 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित अंतर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है।

[2] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाता है, जो कि 16 अप्रैल तक निकाला जाता है। यह 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश-क्रमांत

- (ग) राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 280 करोड़ 01-01-2006 से प्रभावी थी। सरकार के प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर भी बैंक की सहमति ली गई। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है।
- वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-
- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया | 365 |
| (ii) | दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया | शून्य |
| (iii) | दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा | शून्य |
| (iv) | दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट नहीं लिया गया था | शून्य |
| (v) | दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट लिया गया था | शून्य |
- (घ) रोकड़ शेष में से ₹ 879.19 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्रों (₹ 874.78 करोड़) और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिभूतियों (₹ 4.41 करोड़) में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹ 85.70 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ।
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।
- (च) उद्विष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2011